संख्या– 582 / VI / 2004–49 पर्य0 / 2003

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून :दिनॉक : 8 सितम्बर, 2004

विषय :– वित्तीय वर्ष 2004–2005 में देवीधूरा, जनपद चम्पावत हेतु विशेष अनुदान हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के पत्रांक–209 / 2–8–1 / टी0सी0 / 04 दिनॉक 17 अगस्त, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद चम्पावत में आयोजित बग्वाल मेला देवीधुरा की सामान्य व्यवस्थाओं हेतु विशेष अनुदान के रूप में रू0 3.00 लाख (रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि स्वीकृत धनराशि में से साठ प्रतिशत धनराशि से मेले हेतु स्थाई सम्पत्तियों का क्रय किया जायेगा व अब तक सृजित सम्पत्तियों का विवरण एवं मेले को स्वावलम्बी किये जाने हेतु किये गये प्रयासों का भी विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि शासनादेश संख्या–268 / पअ0अ0 / 2004–51 पर्य0 / 2003 दिनॉक 26 अप्रैल, 2004 द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता हेतु स्वीकृत आयोजनागत पक्ष के मदों से व्यय किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तो के अधीन व्यय किया जायेगा।

4– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– यदि स्वीकृत धनराशि से कोई निर्माण कार्य कराया जाता है तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राविकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– यह अनुदान इस वर्ष विशेष अनुदान के रूप में स्वीकृत किया जा रहा है। अतः इसे भविष्य में लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा एवं न ही भविष्य में इस आधार पर अनुदान की मांग की जायेगी।

भवदीय,

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।

संख्या– 582 / VI / 2004–49 पर्य0 / 2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / चम्पावत।
3– जिलाधिकारी, चम्पावत।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
6– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

6/9/04
(ए0के0 घोष)
अपर सचिव।